स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी.आई. मामला

फा.सं. 17026/78/2014-एस.आर.
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(सी.एस. प्रभाग)
*****

एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड
नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त, 2014

सेवा में,

श्री पवन तिवारी,
अग्रवाल मंडी, टटीरी,
जिला: बागपत, पिन 250601 (उ.प्र.)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के पी.पी. प्रभाग के माध्यम से प्राप्त हुए आपके दिनांक 02.06.2014 के आर.टी.आई. आवेदन (इस प्रभाग में दिनांक 16.07.2014 को प्राप्त) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। अधोहस्ताक्षरी सी.पी.आई.ओ. से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु सं. 6: पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग केन्द्रीय राज्य बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

2. यदि आप सी.पी.आई.ओ. के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामत: श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी.एस.), गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर कर सकते है।

2376/IT cell/14 20/8

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(आशुतोष जैन)
निदेशक(सी.एस.-।।) एवं सी.पी.आई.ओ.
दूरभाष: 23438147

प्रति प्रेषित:-

1. अनुभाग अधिकारी, वी.एस. अनुभाग, पी.पी. प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-।। भवन, तीसरा तल, नई दिल्ली को उनके दिनांक 9.7.2014 के पत्र के संदर्भ में।
2. अनुभाग अधिकारी, आई.टी.एकक, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को आवेदक के दिनांक 2.6.2014 के आर.टी.आई. आवेदन की प्रति सहित।

आवेदक की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।
20/8/14
एस आर अनुभाग

आवेदन की प्रति संलग्न है।
एस. ओ. (आई. टी.) नार्थ ब्लाक

KTL

73

पवन तिवारी
एडवोकेट
एम0ए0,बी0एड0,एल0एल0बी0,टी0ई0एम0
सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर0टी0आई0 विशेषज्ञ
जिला महामंत्री युवा प्रकोष्ठ
अखिल भारतवर्षीय ब्राहमण महासभा
जिला बागपत (उ0प्र0)
उपाध्यक्ष–श्री अमरनाथ सेवा समिति (रजि0)
अग्रवाल मण्डी टटीरी जिला बागपत (उ0प्र0)

निवास – अग्रवाल मण्डी टटीरी
जिला बागपत (उ0प्र0)
पिन कोड– 250601
कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायालय
परिसर बागपत,
उ0प्र0–250609
मोबाईल नं0– 09058860009

दिनांक :–02.06.2014

पत्रांक :– 60 / 2014

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / मंत्री मण्डल सचिव,

भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 110001 भारत।

विषय :– "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" की धारा 6 (1) क के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र एवं धारा 6 (3) के प्राविधानो में अन्तर्निहित

श्रीमानजी,

निवेदन यह है कि आवेदक को उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 सपठित धारा 3 एवं 4 के प्राविधानो के अनुसार नीचे लिखे बिन्दुओ पर सूचना उपलब्ध करायें। सूचना न देने या विलम्ब से देने की स्थिति में हुई अपील / परिवाद / वाद व्यय के हर्जे–खर्चे की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा सक्षम न्यायालय द्वारा कठोर कानूनी कार्यवाही आपके विरूद्व अमल में लायी जायेगी।

सूचना शुल्क – अंकन 10/– रू0 भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 17 एफ– 911829 साथ में सलंग्न है।

महत्वपूर्ण :– श्रीमान जी यदि प्रार्थी द्वारा मॉगी गयी सूचनायें किसी अन्य विभाग या अधिकारी द्वारा धारित है तो कृपया प्रार्थी का यह सूचना आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) द्वितीय के परन्तुक के अनुसार सूचना आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस के अन्दर सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को प्रेषित कर दें।

सूचना बिन्दु :–

1. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह मे कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया? सूचना प्रदान करें।

2. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया?वह किस मद से किया गया सूचना प्रदान करें।

3. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया?वह किसके आदेशो पर किया गया है? सम्बन्धित आदेशो की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 (ञ) द्वितीय सपठित धारा 3 व 4 के अन्तर्गत प्रदान करें।

CPIO(SKD)
09/06/14

Recd ... 2014

4. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया?वह किसकी सलाह, मत के आधार पर किया गया है, सूचना प्रदान करें।

5. यह कि क्या लोक सभा सदस्य तथा विधान सभा सदस्य पद के निर्वाचन हेतु क्या संसद द्वारा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय, मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

6. यह कि क्या पश्चिमी उ0प्र0 को अलग राज्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल मे विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

7. यह कि क्या पश्चिमी उ0प्र0 में हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

8. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी? सूचना प्रदान करें।

9. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल जितनी धनराशि खर्च की गयी, वह किस–किस प्रकार की गयी? सूचना प्रदान करें।

10. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च करने हेतु किस–किस गैर सरकारी संगठन को दी गयी तथा कितनी–कितनी दी गयी? सूचना प्रदान करें।

11. यह कि क्या अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान को निरस्त करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

12. यह कि क्या उ0प्र0 में अयोध्या में श्रीराम मन्दिर स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।

13. यह कि क्या न्यायालय विधि का निर्माण कर सकता है? सूचना प्रदान करें।

14. यह कि क्या दिल्ली–सहारनपुर वाया शामली रेलवे लाईन को डबल करने का प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? सूचना प्रदान करें।

15. यह कि दिल्ली–शामली रेलवे मार्ग से पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भारतीय रेलवे को घाटा हुआ या मुनाफा हुआ? सूचना प्रदान करें।

16. यह कि कस्बा अग्रवाल मण्डी टटीरी से मेरठ–बागपत हाईवे रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी सेतु बनाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? सूचना प्रदान करें।